न्यायालय– न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।

उपस्थित– प्रियंका शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

परिवाद संख्या–30168/2022

रवि कुमा बनाम वीरेन्द्र सिंह

दिनांकः 18.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। परिवादी अनुपस्थित। परिवादी विगत कई तिथियों से लगातार अनुपस्थित चल रहा है। परिवादी द्वारा कोई मौका प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सुना तथा अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि अभियुक्त को धारा–138 एन०आई० एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराधों के विचारण के लिए तलब किया गया है। परिवादी आज भी अनुपस्थित है।

ऐसे में धारा 249 द.प्र.सं. यह प्रावधानित करती है कि–

249. Absence of complainant:- When the proceedings have been instituted upon म complaint, and on any day fixed for the hearing of the case, the complainant is absent, and the offence may be lawfully compounded or is not a cognizable offence, the Magistrate may, in his discretion, notwithstanding anything hereinbefore contained, at any time before the charge has been framed, discharge the accused.

ऐसे में न्यायालय का यह अभिमत है कि उक्त प्रावधान के तहत पत्रावली की कार्यवाही आगे संचालित किये जाने का कोई कारण दर्शित नहीं हो रहा है। अतः यह परिवाद अंतर्गत धारा 249 द०प्र०सं० में खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद, अंतर्गत धारा 249 दं०प्र०सं० में खारिज किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(प्रियंका शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद।
JO CODE–UP3437